# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी : सीता शर्मा, आर.ए.एस.**

**प्रकरण सं. : 63** GCMS No. 2016/00266 **दायर दिनांक : 22.03.2016**

1. बाधूदेवी पत्नी स्व. सोहनलाल
2. महावीर } पुत्रगण
3. ओमप्रकाश } स्व. सोहनलाल

} अकवाम स्वामी निवासीयान सोमासर तहसील सूरतगढ़

—वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र स्व. सोहनलाल जाति स्वामी निवासी ओडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) (मृत्यु होने पर नाम तर्क)
2. कलावती पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी लक्ष्मणदास जाति स्वामी निवासी 236 आर.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. कौशल्या पुत्री स्व. सोहनलाल जाति स्वामी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू—धारक
5. उप—पंजीयक, सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

वाद—पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 188 एवं 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :
1. श्री भगवान दत्त शर्मा, अभिभाषक वादीगण
2. श्री शिशपाल शर्मा, अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2—3
3. पैरोकार राज

## निर्णय

दिनांक : 12.06.2024

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषकगण पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य [illegible] हैं कि [illegible] सं. 1 के पति व वादीगण सं. 2—3 के पिता सोहनलाल पुत्र जेठाराम के नाम से ग्राम ढुकराना तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत 2057 ता 60 [illegible] खाता सं. 629 के खसरा नं. 25/2 में 2.315 है0 व खसरा नं. 25/3 में [illegible]75 है0, कुल 7.590 है0 [illegible]

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: SelfAttested

भूमि में से 1/2 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो बाद में ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 251 के खसरा नं. 227 में 2.315 है0 व खसरा नं. 230 में 5.275 है0, कुल 7.590 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई एवं ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2057 ता 60 के खाता सं. 772 के खसरा नं. 26 में 8.438 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो बाद में ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 324 के खसरा नं. 228 में 8.374 है0 बारानी खातेदारी भूमि में से 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई तथा ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2057 ता 60 के खाता सं. 270 के खसरा नं. 29 में 2.530 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो बाद में ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 147 के खसरा नं. 224 में 2.530 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई और ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2057 ता 60 के खाता सं. 97 के खसरा नं. 25/3 में 5.060 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड थी, जो बाद में ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 92 के खसरा नं. 230 में 5.060 है0 बारानी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई। उक्त वर्णित भूमि पहले ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ में थी, जो ग्राम ठुकराना से दो ग्राम बनाये जाने के कारण ग्राम प्रभातनगर में दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई। ग्राम प्रभातनगर में खसरा नं. 228 की 8.374 है0, खसरा नं. 227 की 2.315 है0 व खसरा नं. 230 की 5.275 है0, कुल 15.964 है0 भूमि में से सोहनलाल ने अपने 1/2 हिस्सा यानि 7.982 है0 बारानी भूमि की वसीयत वादीया सं. 1 के पक्ष में एवं ग्राम प्रभातनगर के खसरा नं. 224 की 2.530 है0 व खसरा नं. 230 की 5.060 है0 कुल 7.590 है0 बारानी भूमि की वसीयत वादीगण सं. 2 व 3 के [illegible] बराबर निष्पादित कर दी। वसीयतकर्ता की दिनांक 27.04.2010 को मृत्यु हो चुकी है। उसकी मृत्यु उपरान्त उक्त वसीयत प्रभावशील हो गई है और वादीगण उक्त भूमि के सोहनलाल के स्थान वसीयत अनुसार खातेदार/काश्तकार घोषित होने के पात्र हैं। वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 3 पर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

का वसीयत अनुसार पूर्ण वसीयतशुदा भूमि पर कब्जा व काश्त है। प्रतिवादीगण उक्त भूमि जबरदस्ती मौका पर कब्जा कर इसे राजस्व रिकॉर्ड में विरासतन अंकित करवाने की धमकी दे रहे हैं, इसलिए वादीगण ने मुताबिक वसीयत दिनांक 21.07.2001 वादीया सं. 1 को ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 251 के खसरा नं. 227 में 2.315 है0 व खसरा नं. 230 में 5.275 है0, कुल 7.590 है0 बारानी खातेदारी भूमि एवं खाता सं. 324 के खसरा नं. 228 में 8.374 है0 बारानी खातेदारी भूमि, दोनों खातों की कुल 15.964 है0 बारानी में से 1/2 हिस्सा यानि 7.982 है0 बारानी खातेदारी भूमि का एवं ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 147 के खसरा नं. 224 में 2.530 है0 बारानी भूमि एवं खाता सं. 92 के खसरा नं. 230 में 5.060 है0 बारानी भूमि, दोनों खातों की कुल 7.590 है0 बारानी भूमि का वादीगण सं. 2 व 3 को बहिस्सा बराबर काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिया जाने का निवेदन किया। साथ ही प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही विवादित भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी ना तो स्वयं करने व ना ही किसी अन्य से कराने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 18.01.2019 को प्रतिवादी सं. 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादीगण सं. 2 व 3 ने जरिये अभिभाषक इकबाल दावा प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। स्टेट की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने पर जवाब स्टेट बन्द किया जाकर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

1. आया कि सोहनलाल पुत्र जेठादास [illegible] पूर्व ग्राम ढुकराना तहसील सूरतगढ़ खसरा संख्या 25/2 में 2.315 [illegible] खसरा संख्या 25/3 में 5.275 है0, कुल 7.590 है0 बारानी भूमि वर्तमान रोही प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ में खसरा संख्या 227 में 2.315 है0 व खसरा संख्या 230 में 5.275 है0, कुल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 4 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

7.590 है0 के व पूर्व ग्राम ठुकराना खसरा संख्या 26 की 8.438 है0 भूमि, जो वर्तमान में ग्राम प्रभातनगर के खसरा संख्या 228 की 8.374है0, कुल 15.964 है0 बारानी में 1/2 हिस्सा सोहनलाल का यानि 7.982 है0 की वसीयत वादी संख्या 1 को की एवं वह इस भूमि का खातेदार घोषित होने का पात्र है ? (वादी)

2. आया कि ग्राम ठुकराना के खसरा संख्या 29 में 2.530 है0 बारानी भूमि जो वर्तमान में प्रभातनगर एवं खसरा संख्या 224 में 2.530 है0 व खसरा संख्या 25/3 ग्राम ठुकराना की 5.060 है0 वर्तमान में प्रभातनगर के खसरा संख्या 230 में 5.060 है0 की वसीयत वादी संख्या 2–3 को की है एवं वह इस भूमि के काश्तकार अंकित होने योग्य हैं ? (वादी)

3. आया कि सोहनलाल पुत्र जेठादास फौत हो चुके हैं व वादी वसीयत प्रभावशाली हो गई, इसलिए वसीयत अनुसार मृतक सोहनलाल की हिस्से व नाम अंकित भूमि के वसीयत के आधार पर काश्तकार घोषित होने के पात्र हैं ? (वादी)

4. आया कि बाद घोषणा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने के पात्र हैं ? (वादी)

5. अनुतोष।

तनकीयात कायम किये जाने के पश्चात् साक्ष्य लिये गये। साक्ष्य वादी में वादीगण सं. 1–2 ने स्वयं एवं वसीयत में अंकित गवाह पतराम पुत्र आदूराम जाति नाई निवासी सोमासर हाल निवास पूरबसर तहसील रावतसर के बयान शपथ–पत्र पेश किये, जिन पर जिरह वकील प्रतिवादीगण द्वारा समायत की गयी। साथ ही सोहनलाल द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.07.2001 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की व प्रदर्श सं. 1 से 4 अंकित करवाये। वादीगण द्वारा और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य वादीगण बन्द किये गये। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द किये गये। वकील वादी द्वारा प्रार्थना–पत्र व मृत्यु प्रमाण [illegible] एवं सरपंच, ग्राम पंचायत पोहड़का खण्ड ऐलनाबाद [illegible] पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी सं. 1 की मृत्यु हो चुकी है, उसकी एकमात्र वारिस उसकी माता ही है, जो पूर्व में पक्षकार है। प्रतिवादी सं. 1 की मुत्यु होने व वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 5 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने पर, प्रार्थना–पत्र वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी सं. 1 कृष्णलाल का नाम तर्क किये जाने के आदेश दिये गये। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए मुताबिक वसीयत दिनांक 21.07.2001 वादीया सं. 1 को ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 251 के खसरा नं. 227 में 2.315 है0 व खसरा नं. 230 में 5.275 है0, कुल 7.590 है0 बारानी खातेदारी भूमि एवं खाता सं. 324 के खसरा नं. 228 में 8.374 है0 बारानी खातेदारी भूमि, दोनों खातों की कुल 15.964 है0 बारानी में से 1/2 हिस्सा यानि 7.982 है0 बारानी भूमि का खातेदार कृषक घोषित किये जाने एवं ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 147 के खसरा नं. 224 में 2.530 है0 बारानी भूमि एवं खाता सं. 92 के खसरा नं. 230 में 5.060 है0 बारानी भूमि, दोनों खातों की कुल 7.590 है0 बारानी भूमि का वादीगण सं. 2 व 3 को बहिस्सा बराबर काश्तकार घोषित किया जाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने का आदेश तहसीलदार सूरतगढ़ को दिये जाने एवं प्रतिवादीगण को वादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही विवादित भूमि में किसी प्रकार से दखलन्दाजी ना तो स्वयं करने व ना ही किसी अन्य से कराने हेतु जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किये जाने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2–3 ने इकबाल दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादीगण डिक्री किये जाने की प्रार्थना की। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय किये जाने की प्रार्थना की।

पक्षकारान की बहस का श्रवण करने के उपरान्त बहस के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का गहन पठन व मनन किया गया। तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार से है :

तनकी नं. 1 – आया कि सोहनलाल पुत्र जेठादास स्वामी द्वारा पूर्व ग्राम ठुकराना तहसील सूरतगढ़ खसरा संख्या 25/2 में 2.315 है0, खसरा संख्या 25/3 में 5.275 है0, कुल 7.590 है0 भूमि वर्तमान रोही प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ में खसरा संख्या 227 में 2.315 है0 व खसरा संख्या 230 में 5.275 है0, कुल 7.590 है0 के व पूर्व ग्राम ठुकराना खसरा संख्या 26 की 8.438 है0 भूमि, जो वर्तमान में ग्राम प्रभातनगर के खसरा संख्या 228 की 8.374 है0,

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: SelfAttested

क्रमशः ..... पेज 6 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कुल 15.964 है0 बारानी में 1/2 हिस्सा सोहनलाल का यानि 7.982 है0 की वसीयत वादी संख्या 1 को की एवं वह इस भूमि का खातेदार घोषित होने का पात्र है ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था। वादीगण ने इस तनकी को पत्रावली में प्रस्तुत ग्राम ढुकराना की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 खाता सं. 629 व 772 व ग्राम प्रभातनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 67 खाता सं. 251 व 324 एवं साक्ष्य में प्रस्तुत सोहनलाल पुत्र जेठादास जाति स्वामी द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 21.07.2001 की प्रमाणित प्रति तथा वादीगण सं. 1–2 स्वयं व वसीयत में अंकित गवाह पतराम पुत्र आदूराम के शपथ–पत्रों के माध्यम से पूर्ण रूप से सिद्ध किया है। तनकी नं. 1 बहक वादीगण निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया कि ग्राम ढुकराना के खसरा संख्या 29 में 2.530 है0 बारानी भूमि जो वर्तमान में प्रभातनगर एवं खसरा संख्या 224 में 2.530 है0 व खसरा संख्या 25/3 ग्राम ढुकराना की 5.060 है0 वर्तमान में प्रभातनगर के खसरा संख्या 230 में 5.060 है0 की वसीयत वादी संख्या 2–3 को की है एवं वह इस भूमि के काश्तकार अंकित होने योग्य हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। वादीगण द्वारा वाद में पत्रावली के साथ प्रस्तुत की गई ग्राम ढुकराना की जमाबन्दी सम्वत् 2057 से 60 खाता सं. 270 व 97 व ग्राम प्रभातनगर की जमाबन्दी सम्वत् 2064 से 67 खाता सं. 147 व 92 में वर्णित भूमि सोहनलाल पुत्र जेठादास कौम बैरागी के नाम से दस साला/पु.आ. दर्ज है। वसीयत के पठन से यह स्पष्ट है कि वर्णित भूमि की वसीयत अंकित काश्तकार द्वारा वादी सं. 2–3 को की गई है, किन्तु जमाबन्दी अनुसार यह भूमि पुख्ता आवंटन/दस साला गैर खातेदारी वसीयतकर्ता के नाम दर्ज है। गैर खातेदारी का हस्तान्तरण काश्तकारी अधिनियम अनुसार नहीं किया जा सकता और वह पालनीय नहीं है। खातेदारी के अभाव में मुताबिक वसीयत वादीगण उक्त भूमि के काश्तकार अंकित होने योग्य नहीं है। वादीगण इस तनकी को सिद्ध करने में असफल रहे हैं। तनकी नं. 2 विरुद्ध वादीगण निर्णय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 3 – आया कि सोहनलाल पुत्र जेठादास फौत हो चुके हैं व वादी वसीयत प्रभावशाली हो गई, इसलिए वसीयत अनुसार मृतक सोहनलाल की

क्रमशः ..... पेज 7 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

हिस्से व नाम अंकित भूमि के वसीयत के आधार पर काश्तकार घोषित होने के पात्र हैं ? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1 व 2 से है। तनकी नं. 1 बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी है। तनकी नं. 2 में अंकित भूमि ग्राम ठुकराना के खसरा संख्या 29 में 2.530 है0 बारानी भूमि, जो वर्तमान में प्रभातनगर के खसरा संख्या 224 में 2.530 है0 दर्ज है एवं ग्राम ठुकराना के खसरा संख्या 25/3 की 5.060 है0, जो वर्तमान में प्रभातनगर के खसरा संख्या 230 में 5.060 है0 दर्ज है, उक्त कुल 7.590 है0 भूमि अंकित काश्तकार वसीयतकर्ता के नाम पुख्ता आवंटित/दस साला आवंटित दर्ज है जो अभी उसके नाम गैर खातेदारी दर्ज है। गैर खातेदार काश्तकार को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण के अधिकार नहीं हैं। यह तथ्य सही है कि अंकित काश्तकार वसीयतकर्ता सोहनलाल फौत हो चुका है और वसीयत प्रभावशील हो गई है, लेकिन यह खातेदार अंकित भूमि तक सीमित है। वादीगण अंकित खातेदारी की घोषणा करवाने के पात्र हैं जो कि पूर्व ग्राम ठुकराना के खसरा संख्या 25/2 में 2.315 है0, खसरा संख्या 25/3 में 5.275 है0, जो वर्तमान में रोही प्रभातनगर के खसरा संख्या 227 में 2.315 है0 व खसरा संख्या 230 में 5.275 है0 दर्ज है व पूर्व ग्राम ठुकराना के खसरा संख्या 26 में 8.438 है0 भूमि, जो वर्तमान में ग्राम प्रभातनगर के खसरा संख्या 228 में 8.374 है0 दर्ज है, उक्त कुल 15.964 है0 बारानी भूमि में सोहनलाल के नाम अंकित 1/2 हिस्सा यानि 7.982 है0 भूमि के मुताबिक वसीयत वादी सं. 1 बाधुदेवी पत्नी सोहनलाल जाति स्वामी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ अकेली खातेदार घोषित होने की पात्र बनती है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का एतराज पेश नहीं किया गया है, इसलिए यह तनकी आंशिक रूप से बाधुदेवी की सीमा तक पूर्ण रूप से सिद्ध होने से स्वीकृति योग्य मानी जाती है।

तनकी नं. 4– आया कि बाद घोषणा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने के पात्र हैं? (वादी)

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण पर था। इस तनकी का सम्बन्ध तनकी नं. 1, 2 व 3 से है। उक्त खातेदारी भूमि की सीमा तक बहक वादीगण निर्णय की जा चुकी है। इसी अनुसार वादीगण खातेदारी भूमि की बादघोषणा राजस्व रिकॉर्ड में अंकित होने के पात्र हैं। तनकी नं. 4 भी खातेदारी

क्रमशः ..... पेज 8 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: SelfAttested

भूमि की सीमा तक बहक वादी बाधुदेवी निर्णय की जाती है।

तनकी नं. 1 बहक वादीगण, तनकी नं. 2 विरुद्ध वादीगण एवं तनकी नं. 3 व 4 खातेदारी भूमि की सीमा तक बहक वादी सं. 1 निर्णय की जा चुकी है। इसी अनुसार वाद वादी सं. 1 बाधुदेवी की सीमा तक वसीयत प्रभावशाली मानते हुए वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 251 (इसके पश्चात् बनी नई जमाबन्दी) के खसरा नं. 227 में 2.315 है0 व खसरा नं. 230 में 5.275 है0, कुल 7.590 है0 बारानी खातेदारी भूमि एवं इसी ग्राम प्रभातनगर के खाता सं. 324 (इसके पश्चात् बनी नई जमाबन्दी) के खसरा नं. 228 में 8.374 है0 बारानी खातेदारी भूमि, दोनों खातों की कुल 15.964 है0 बारानी में से सोहनलाल पुत्र जेठादास के नाम अंकित 1/2 हिस्सा यानि 7.982 है0 बारानी खातेदारी भूमि का मुताबिक वसीयत वादीया सं. 1 बाधूदेवी पत्नी स्व. सोहनलाल जाति स्वामी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को मुताबिक घोषणा उक्त भूमि सोहनलाल पुत्र जेठादास जाति स्वामी के नाम से कलमजन कर बाधूदेवी पत्नी स्व. सोहनलाल जाति स्वामी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मुताबिक घोषणा वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें। वादाधीन शेष भूमि ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 224 की 2.530 है0 बारानी एवं खसरा नं. 230 की 5.060 है0 बारानी भूमि की बाबत उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त होने पर वसीयत की पालना में अपने अधिकारों की घोषणा प्राप्त करने हेतु कानूनी चाराजोई करने को स्वतंत्र हैं। इस आदेश व डिक्री का वादीगण पर नकारात्मक प्रभाव नहीं होगा। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

# डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत — सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास — सीता शर्मा, आर.ए.एस.

---

अनवान :—

1. बाधूदेवी पत्नी स्व. सोहनलाल
2. महावीर } पुत्रगण
3. ओमप्रकाश } स्व. सोहनलाल

} अकवाम स्वामी निवासीयान सोमासर तहसील सूरतगढ़

—वादीगण

बनाम

1. कृष्णलाल पुत्र स्व. सोहनलाल जाति स्वामी निवासी ओडका तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) (मृत्यु होने पर नाम तर्क)
2. कलावती पुत्री स्व. सोहनलाल पत्नी लक्ष्मणदास जाति स्वामी निवासी 236 आर.डी. तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. कौशल्या पुत्री स्व. सोहनलाल जाति स्वामी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ बहैसियत प्रतिनिधि भू—धारक
5. उप—पंजीयक, सूरतगढ़

—प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत 88, 92—ए, 188 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 63 वर्ष 2016 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर अभिभाषक वादीगण श्री भगवान दत्त शर्मा एवं अभिभाषक प्रतिवादीगण सं. 2—3 श्री शिशपाल शर्मा तथा पैरोकार राज के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2064 ता 67 के खाता सं. 251 (इसके पश्चात् बनी नई जमाबन्दी) के खसरा नं. 227 में 2.315 है0 व खसरा नं. 230 में 5.275 है0, कुल 7.590 है0 बारानी खातेदारी भूमि एवं इसी ग्राम प्रभातनगर के खाता सं. 324 (इसके पश्चात् बनी नई जमाबन्दी) के खसरा नं. 228 में 8.374 है0 बारानी खातेदारी भूमि, दोनों खातों की कुल 15.964 है0 बारानी में से सोहनलाल पुत्र जेठादास के नाम अंकित 1/2 हिस्सा यानि 7.982 है0 बारानी खातेदारी भूमि का मुताबिक वसीयत वादीया सं. 1 बाधूदेवी पत्नी स्व. सोहनलाल जाति स्वामी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है एवं तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को मुताबिक घोषणा उक्त भूमि सोहनलाल पुत्र जेठादास जाति स्वामी के नाम से कलमजन कर बाधूदेवी पत्नी स्व. सोहनलाल जाति स्वामी निवासी सोमासर तहसील सूरतगढ़ के नाम बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को जरिये चिरस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मुताबिक घोषणा वे वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करें व ना ही किसी अन्य से करावें। वादाधीन शेष भूमि ग्राम प्रभातनगर तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 224 की 2.530 है0 बारानी एवं खसरा नं. 230 की 5.060 है0 बारानी भूमि की बाबत उक्त भूमि की खातेदारी प्राप्त होने पर वसीयत की पालना में अपने अधिकारों की घोषणा [illegible] हेतु कानूनी चाराजोई करने को स्वतंत्र हैं। इस आदेश व डिक्री का वादीग[illegible] [illegible]त्मक प्रभाव नहीं होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sita Sharma
Date: 2024.06.12 12:34:54 IST
Reason: Self Attested

नोज .........×......... मबलिग .........×......... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..............×.............. फीसदी सालाना ............×............आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 12.06.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़